समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

राजीव गांधी विद्या भवन, द्वितीय तल, शिक्षा संकुल
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

RCScE

रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण गतिविधि
दिशा–निर्देश सत्र 2024–25

प्रस्तावना

भारत अपनी युवा आबादी के लिये विश्व स्तर पर जाना जाता है और समय के साथ सबसे युवा राष्ट्र के रूप में उभरा है। किशोरावस्था की आबादी में विशेष रूप से किशोरी बालिकायें अधिकांश परिस्तिथियों में अपराध एवं हिंसा का शिकार होती है। हमारे देश की एक तिहाई से अधिक आबादी की उम्र 18 वर्ष से कम है। बलात्कार, हिंसा, शोषण आदि के बढ़ते मामले हर व्यक्ति का ध्यान खींचते हैं। परन्तु इससे किशोरो व किसी के भी सर्वांगीण विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। NCRB (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) 2022 के आंकड़े बताते हैं कि बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1,62,449 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 (1,49,404 मामले) की तुलना में 8.7% की वृद्धि दर्शाते हैं। प्राप्त आकडो के अनुसार भारत में बच्चे मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे है। दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में भी 4,45,256 मामले दर्ज किये गए। जो हर घंटे लगभग 51 एफआईआर और हर दिन 87 महिलाओं के यौन शोषण को दर्शाते है। यह हमे किशोरी बालिकाओं की सुरक्षा के लिये अपनी योजनाओं को और सशक्त तरीके से करने की ओर प्रोत्साहित करती है।

जब हम राज्य स्तर पर नजर डालते हैं, तो 2022 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 65,743 मामलों के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद महाराष्ट्र (45,331) और राजस्थान (45,058) का स्थान है। बलात्कार गैंगरेप के साथ हत्या किशोरियों के लिये खतरा है। लिंग आधारित भेदभाव की भी हिंसा और अपराध बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

इन आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में, किशोर बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का महत्व और भी बढ़ जाता है। बालिकाओं की सुरक्षा का मुद्दा उनकी शिक्षा और आगे बढ़ने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण न केवल उन्हें सशक्त बनाता है, बल्कि शिक्षा जारी रखने के लिए आत्मविश्वास और साहस भी प्रदान करता है। आत्मरक्षा कौशल से सशक्त बालिकाएं स्कूल और कॉलेज में सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, जिससे वे भयमुक्त होकर अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगी।

उपरोक्त उदेश्य के साथ रानी-लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की गई, ताकि बालिकाएं बुनियादी आत्मरक्षा तकनीकों को सीख सकें। जिसमें वे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी सशक्त महसूस कर सकें। जिससे वे किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहे। इस प्रकार आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के मार्ग को सुरक्षित और सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

RajKaj Ref
7861072

Signature valid
Digitally signed by Avinal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 10:17:39 IST
Reason: Approved

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ मनोज मीना

इससे बालिकाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मरक्षा के गुण सीखने से प्रचलित रूढ़ियाँ भी टूटेंगी। इस उद्देश्य से राज्य ने वर्ष 2014-15 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत पायलट आधार पर इस कार्यक्रम की शुरूआत की और चरणबद्ध तरीके से इसे बढ़ाया गया। समग्र शिक्षा के तहत 2018-19 में यह जेंडर समानता का एक नियमित घटक रहा है और राज्य इस गतिविधि पर सतत रूप से कार्य कर रहा है।

इसी क्रम में पुनः वर्ष 2024-25 में समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं को शारीरिक रूप से आत्मरक्षा तकनीक पर प्रशिक्षित किया जाना है जिससे कि वह मानसिक रूप से भी सशक्त हो सके इसके लिए विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जायेगा। इस हेतु राज्य के सभी जिलों में 'सक्षम' अभियान (आत्मरक्षा प्रशिक्षण) को संचालित किया जा रहा है।

कार्यक्रम का लक्ष्य/ विजन–

1. बालिकाओं के विद्यालयी ठहराव एवं शिक्षा पूर्ण करने में आने वाली बाधाओं यथा छेड़छाड़ एवं असुरक्षा से मुकाबला करने के लिये उन्हें तैयार करना।

उद्देश्य –

1. शिक्षक–समुदाय–विद्यार्थी की सहभागिता से विद्यालयों को बालिकाओं हेतु सुरक्षित बनाना।
2. समय–समय पर विद्यालय की सुरक्षा का पूर्व निर्धारित सूचकांकों पर स्वआकलन करना।
3. बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीकों पर प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाना ।
4. बालिकाओं को अपने अधिकार हेतु जागरूक करना, संभावित खतरों/बाधाओं की पहचान करना और समस्याओं की शिकायत एवं आपसी सहयोग से निराकरण हेतु मानसिक रूप से तैयार करना।
5. बालिकाओं को मार्शल आर्ट सीखने हेतु प्रोत्साहित करना और बालिकाओं की शारीरिक कमजोरी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की पहल करना।
6. बाल–संरक्षण से संबंधित केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी को बालिकाओं तक पहुँचाना।
7. पोक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के विशेष प्रावधानों की जानकारी और राष्ट्रीय और राज्य बाल सुरक्षा आयोग एवं महिला आयोग की सूचना तंत्र के बारे में बालिकाओं और बालकों को जागरूक करना।

कवरेज

कक्षा 6 से 12 की समस्त बालिकाएँ जो कि प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत है, इस गतिविधि में सम्मिलित की जायेंगी। उक्त गतिविधि का संचालन 18550 उ०प्रा० एवं 17418 मा०/उ०मा० राजकीय विद्यालयों में होगा।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर कैलेण्डर अनुसार तीन माह में कुल 45 दिन हेतु आयोजित किये जायें। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में निरन्तर भी इस गतिविधि को रिक्त कालांश/समयावधि में आयोजित किया जावे।

बजट

RajKaj Ref
7861072

Signature valid
Digitally signed by A[illegible]l Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.[illegible] [illegible]:17:39 IST
Reason: Approved

उक्त गतिविधि अन्तर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिये उच्च प्रा0 विद्यालयों एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को रुपये 5000/— प्रतिमाह, प्रति विद्यालय अनुमोदित हुए हैं।

<u>गतिविधि हेतु राज्य पर कुल उपलब्ध बजट</u>

Activity	Unit cost in Rs.	Phy			Budget (Rs in Lakh)	Remarks
		Ele	Sec	Total		
Self Defense training	5000 @ per school	18550	17418	35968	927.5 (E) 870.9 (S)	

<u>संचालन —</u>

उक्त अनुमोदित बजट में बालिकाओं को उक्त प्रशिक्षण दिये जाने हेतु निम्नांकित चरणों में गतिविधियां प्रस्तावित है :—

1. राज्य स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक से एक महिला शारीरिक शिक्षिका का आर.पी.ए के सहयोग से 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण।
2. ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक विद्यालय से महिला शिक्षिका का 07 दिवसीय प्रशिक्षण।
3. विद्यालय स्तर पर बालिकाओं का प्रशिक्षण।

1 राज्य स्तर पर एसआरजी प्रशिक्षण (राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर राजस्थान में) — वर्तमान सत्र 2024—25 में राज्य स्तर पर आर.पी.ए के सहयोग से आत्मरक्षा तकनीकों पर प्रत्येक ब्लॉक स्तर से एक महिला शारीरिक शिक्षिका को राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। जिले द्वारा राज्य के 358 ब्लॉक से एक पीईटी को राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण लिये जाने हेतु सूची तैयार कर 15 जून 2024 तक पूर्व निर्धारित प्रपत्र में शिक्षा प्रकोष्ठ की ई—मेल आईडी rajsmsa-girlsedu@rajasthan-gov-in पर भेजा जाना सुनिश्चित करावें।

jkT; Lrj ij vkjih, ds lg;ksx ls flysokj izf'k{k.k gsrq fnukad

क्र.सं.	जिले	राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिनांक	संभागी
1	बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, उदयपुर, नागौर	01.07.2024 से 11.07.2024	89
2	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, बीकानेर	15.07.2024 से 26.07.2024	93
3	बून्दी, चुरू, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर	29.07.2024 से 08.08.2024	87
4	झालावाड़, झुंझनू, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक	27.08.2024 से 06.09.2024	90
			359

RajKaj Ref
7861072

Signature valid
Digitally signed by A[illegible]al Chaturvedi
Designation: State Project Director
Date: 2024.06.[illegible] [illegible]:17:39 IST
Reason: Approved

प्रशिक्षण व्यय – 10 दिवसीय बेसिक कोर्स हेतु प्रति प्रशिक्षु 12,329/– रूपये की दर से कुल 4413782/– राजस्थान पुलिस अकादमी को भुगतान किया जायेगा। जिसमें भोजन, नाश्ता आवास, गेस्ट फेकल्टी, ट्रेनिंग किट आउटडोर प्रशिक्षण सामग्री सम्मिलित है।

1.2 एस.आरजी प्रशिक्षण मानक एवं अन्य मापदंड –

1. आरपीए से पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो।
2. संबंधित जिले द्वारा इस प्रशिक्षण हेतु यथासंभव शारीरिक रूप से सक्षम, 45 वर्ष से कम आयुवर्ग की पीईटी अध्यापिका का चयन किया जाये।
3. यह प्रशिक्षण पूर्ण आवासीय होगा। अतः सभी प्रशिक्षु अपनी संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ में प्रशिक्षण आरंभ होने से एक दिन पूर्व सायंकाल तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेंगे।
4. प्रशिक्षणार्थी नीला ट्रैक सूट, सफेद टी–शर्ट एवं सफेद पीटी शूज साथ लेकर आएंगें।
5. प्रशिक्षणार्थी बच्चे साथ लेकर नहीं आएं। बच्चे साथ लेकर आने पर प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
6. गर्भवती महिला पीटीआई को प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
7. प्रशिक्षण के दौरान दैनिक उपयोग में आने वाला आवश्यक सामान साथ लेकर आवें। भोजन एवं आवास की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण व्यय परिषद द्वारा वहन किया जायेगा।
8. समय–सीमा उपरांत राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं माना जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षु आरपीए के प्रशिक्षण दिशा–निर्देश की संपूर्ण पालना करेंगें।

2nd ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण –

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण – प्रत्येक विद्यालय से एक महिला पीईटी/शिक्षिका बालिकाओं हेतु प्रशिक्षक का दायित्व निर्वहन करेगी। इन पीईटी/शिक्षिकाओं को आत्मरक्षा तकनीकों पर तैयार करने एवं बाल–अधिकार संबंधित जानकारी देने हेतु 07 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन ब्लॉक स्तर पर किया जायेगा। प्रशिक्षण पश्चात उक्त प्रशिक्षक अपने–अपने विद्यालयों में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवायेंगे एवं सत्रपर्यन्त कुल 45 दिन (15 दिन प्रतिमाह, तीन–माह) में बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीकों का अभ्यास करायेंगे। राजस्थान पुलिस अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् स्वयं के जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण प्रारंभ किये जायेंगें। इस हेतु ब्लॉक स्तर पर समस्त विद्यालयों हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा सकेंगें।

क्र.सं.	जिले	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिनांक	संभागी
1	ब्यावर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, उदयपुर, नागौर	22.07.2024 – 28.07.2024	8259
2	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, बीकानेर	01.08.2024 – 07.08.2024	9361
3	बून्दी, चुरू, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर	27.08.2024 – 02.09.2024	8855
4	झालावाड़, झुंझनू, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टौंक	17.09.2024 – 23.09.2024	9493
	कुल		35968

RajKaj Ref
7861072

Signature valid
Digitally signed by A[illegible] Chaturvedi
Designation : [illegible] Project Director
Date: 2024.06.[illegible]0:17:39 IST
Reason: Approved

izf'k{k.k O::

क्र. सं.	आत्मरक्षा प्रशिक्षण	प्रशिक्षणदाता	संभागी	व्यय	कुल व्यय	टिप्पणी
1	ब्लॉक स्तरीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण (7 दिवसीय गैर आवासीय)	एसआरजी (राजस्थान पुलिस अकादमी से प्रशिक्षित) द्वारा	प्रा0शि एवं मा0शि0 के प्रत्येक विद्यालय से 01 शारीरिक शिक्षिका/शिक्षिका **नोट – विद्यालय में कोई भी शिक्षिका ना होने की स्थिति में पुरुष शिक्षक प्रतिभागी होगा।**	300/– रूपये प्रति दिवस प्रति संभागी	75532800/-	यह 35968 विद्यालय का है।
2	टीम निडर का गठन	ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय मॉनीटरिंग दल (6 सदस्यीय)	03 प्रा0शि से एवं 03 मा0शि से शारीरिक शिक्षिका (यथासंभव महिला) 33 जिले के 198 शिक्षिकाएं	700/– रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिवस (07 दिवस हेतु)	9,70,200/-	पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षिकाओं को टीम नीडर में शामिल किया जावे।

ब्लॉक स्तरीय एकीकृत आत्मरक्षा प्रशिक्षण (गैर आवासीय)-
व्यय मानक प्रति संभागी (07 दिवसीय गैर आवासीय शिविर हेतु)- 300 : izfr laHkkxh

izfrfnol dk foHkktu

क्र.सं.	व्यय मानक	कार्यदिवस	भौतिक लक्ष्य	राशि प्रति दिवस रूपये	कुल राशि
1	एक समय का भोजन, चाय, नाश्ता, पेयजल	7 दिवस	50	150	52500
2	प्रशिक्षण स्थल एवं बैठक व्यवस्था	1 बार	50	150	7500
3	पेन, डायरी, टी.एल.एम, स्टेशनरी, बैनर,	1 बार	50	30	1500
4	एसआरजी मानदेय	7 दिवस	2	700	9800
5	शिविर प्रभारी व्यवस्थापक	7 दिवस	1	500	3500
6	संभागी यात्रा भत्ता	7 दिवस	50	50	17500
7	विविध (फोटो कॉपी, लेपटॉप, प्रोजेक्टर, टीएलएम, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, आत्मरक्षा प्रशिक्षण में उपयोग हेतु अन्य सहायक सामग्री, किराया इत्यादि)	एकमुश्त			12700
	कुल व्यय				105000

नोट :– यह विभाजन 50 संभागियों के बैच के आधार पर किया गया है। बैच विद्यालयों की संख्या के आधार पर 50 से कम या अधिक (जैसे 45 या 55) हो सकता है।

2.3 प्रशिक्षण हेतु निर्धारित मापदण्ड :–

RajKaj Ref
7861072

Signature valid
Digitally signed by Avishal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.[illegible]0:17:39 IST
Reason: Approved

1. प्रत्येक बैच में विभाजन के आधार पर संभागियों की संख्या (45—55) के मध्य निर्धारित की जाये। प्रत्येक बैच के लिये 02 प्रशिक्षक नियुक्त किये जाये (एक प्रशिक्षक – वर्तमान सत्र में आरपीए से प्रशिक्षित एवं 01 प्रशिक्षक पूर्व वर्षो में प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता)।
2. प्रत्येक विद्यालय से शारीरिक शिक्षिका उक्त प्रशिक्षणों में संभागी के रूप में भाग लेंगी। शारीरिक शिक्षिका नहीं होने पर अन्य सामान्य शिक्षिका (संस्थाप्रधान द्वारा चयनित) प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी।
3. प्रशिक्षण समय—सीमा के अनुसार प्रत्येक विद्यालय से प्रशिक्षु को प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा।

2.4 प्रशिक्षण में शिथिलन का आधार :—

1. गर्भवती शिक्षिका संभागी को।
2. ऐसी शिक्षिका जिसके शिशु की आयु 06 माह तक की हो।
3. ऐसी शिक्षिका जो गंभीर रोग से पीड़ित हो, को चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर।
4. ऐसी शिक्षिका जिनकी सेवानिवृति में 02 वर्ष शेष हो।
5. शिथिलन का अधिकार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा को अधिकृत किया जाता है। समिति की अभिशंषा एवं उचित दस्तावेज संलग्न करने के पश्चात् ही कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखा जावे। इसकी समस्त जिम्मेदारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा की होगी।

नोट :— प्रत्येक शिक्षिका को प्रशिक्षण के पश्चात दिक्षा पोर्टल से जीवन कौशल कार्यक्रम को पूर्ण कर उसका सर्टिफिकेट राज्य स्तर पर प्रेषित करना है।

विद्यालयों में बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा शिविर का आयोजन एवं बालिकाओं का आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास —

ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित पीईटी/अध्यापिका विद्यालय में समस्त बालिकाओं को छोटे समूह में आत्मरक्षा तकनीकों पर प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण के साथ—साथ बालिकाओं के साथ बाल—अधिकार एवं सुरक्षा के सत्रों का भी आयोजन करेंगे। विद्यालय स्तर पर रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा शिविर आयोजन के संबंध में निर्देश :—

संस्थाप्रधान की जिम्मेदारियां :—

- प्रशिक्षक/शिक्षक द्वारा संस्थाप्रधान का प्रशिक्षण — आत्मरक्षा तकनीकों एवं चर्चा सत्रों के आयोजन संबंधी समस्त जानकरियां उपलब्ध करायेगा और उसकी कार्ययोजना तैयार करेगा।
- कक्षा 6 से 8 एवं 9 से 12 की बालिकाओं के प्रशिक्षण हेतु पृथक—पृथक समूह बनाये जायें।
- संस्थाप्रधान आत्मरक्षा प्रशिक्षण को विद्यालय समय—सारणी में प्राथमिकता देंगे। प्रशिक्षक द्वारा चर्चा—सत्रों को भी समय—सारणी में सम्मिलित किया जाये।
- प्रशिक्षण पश्चात नियमित अभ्यास हेतु संस्था प्रधान यथासंभव अभ्यास करवाय जाने का भी सुनिश्चित करें।
- शिविर प्रभार एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण का दायित्व महिला शारीरिक शिक्षक का होगा। उक्त विद्यालय में महिला शारीरिक शिक्षक पदस्थापित न होने की स्थिति में निकटस्थ विद्यालय जहां महिला पीईटी के कार्यादेश ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देशित किये जा सकेगें। सहयोग के रूप में विद्यालय से अन्य महिला शिक्षक को लगाया जा सकेगा।

RajKaj Ref
7861072

Signature valid
Digitally signed by Avishal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.19 10:17:39 IST
Reason: Approved

- बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीकों पर नियमित अभ्यास के पूरे अवसर मिलें और प्रशिक्षक/पीईटी की देखरेख में हो, इसकी जिम्मेदारी संस्थाप्रधान की होगी।
- भोजन के तुरन्त बाद किसी तरह का शारीरिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाये।
- किसी भी बालिका को विद्यालय परिसर से बाहर अथवा विद्यालय समय से पूर्व/बाद में संस्थाप्रधान अथवा एसएमसी/ एसडीएमसी की लिखित अनुमति के बिना प्रशिक्षण नहीं दिया जाये।
- प्रत्येक विद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा दल का गठन किया जाना है। वर्तमान सत्र में बालिकाओं हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक कक्षा से इच्छुक छात्राएं भाग ले सकेंगी। विद्यालयों में तीन–माह में कुल 45 दिन हेतु (30 मिनट का अभ्यास) बालिकाओं के लिये आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है।
- उक्त शिविर हेतु (25 – 30 छात्राओं) बालिकाओं के नाम का चयन करें एवं रिकार्ड संधारित करें। यह शिविर गैर आवासीय होगा एवं विद्यालय समय के दौरान आयोज्य होगा। प्रशिक्षण हेतु समय–सारिणी विद्यालय समय के अनुरूप निर्धारित होगी।

नोट :– बैच में प्रतिभागियों की संख्या आवश्यकतानुसार निर्धारित लक्ष्य से अधिक (प्रधानाचार्य की अनुशंषा से) भी रखी जा सकती है।

विद्यालय स्तर पर बजट प्रावधान

क्र.सं.	आत्मरक्षा प्रशिक्षण	प्रशिक्षण स्थल	दिनांक	संभागी	व्यय
1	रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा दल शिविर (नवीन)	विद्यालय स्तर	07 अक्टूबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024	कक्षा 06–12 की चयनित एवं दल का प्रतिनिधित्व करने वाली 20–25 छात्राएं	प्रति विद्यालय 2650/– रुपये (1000/– रुपये पोस्टर बैनर, फोटोकॉपी एवं अन्य विविध तथा 1650/– रुपये बालिकाओं हेतु अल्पाहार)

नोट :– 2 पोस्टर्स विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से बना कर आपको प्रेषित किए जायेगें। जिनकी 3–3 प्रतियां बनाकर प्रत्येक विद्यालय में प्रदर्शित किया जाना हैं एवं उक्त पोस्टर्स पर विद्यार्थियों से चर्चा की जानी है।

बालिकाओं के साथ शिविर संचालन के दिशा निर्देश :–

1. शिविर में जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष एवं जिला शिक्षा अधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित कर बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाये।
2. विद्यालय स्तर पर प्रदान किये जा रहे बजट से बालिकाओं का प्रातःकालीन एवं सांयकालीन अल्पाहार एवं आवश्यकतानुसार आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधन जैसे – अभ्यास एवं प्रशिक्षण हेतु प्रचार–प्रसार की सामग्री (पोस्टर/बैनर) एवं अन्य आवश्यक सामग्री यथा गद्दे, दरी इत्यादि।
3. प्रशिक्षण में भाग लेने वाली बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाये।
4. प्रशिक्षण में भाग लेने वाली बालिकाओं को पहले से सूचना प्रदान की जाये कि वे इस हेतु मानसिक रूप से तैयार रहें एवं प्रशिक्षण हेतु निर्धारित ट्रैकसूट (व्हाइट टीशर्ट एवं ब्लू लोवर, स्पोर्टस शू ब्लू या व्हाईट कोई भी) आवश्यक पोशाक जूते उपलब्धता के आधार पर साथ लेकर आयें। आत्मरक्षा प्रशिक्षण पोशाक हेतु भामाशाहों का भी सहयोग लिया जा सकता है तथा प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय विकास कोष के माध्यम से एचडीएमसी/एसएमसी की सहमति से सहयोग लिया जा सकता है।
5. आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री – मैट, फोम पैड, पंच पैड, चेस्ट गार्ड, हैड गार्ड, ढाल, तुर्रा, वुडन स्टिक, नान चाकू, ढोल।

RajKaj Ref 7861072

Signature valid
Digitally signed by Avinash Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.[illegible] [illegible]0:17:39 IST
Reason: Approved

नोट :– उपरोक्त सामग्री को विद्यालय में उपलब्धता के आधार पर प्रयोग में ली जाये। 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किये गये 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का प्रयोग किया जाये।

6. सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/ पीईईओ द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के दौरान शिविर केन्द्रों का गहन अवलोकन किया जाये एवं बालिकाओं को संबलन प्रदान करें।
7. विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को चाईल्ड हैल्पलाईन नं0 की जानकारी के साथ–साथ उसका उपयोग किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश एवं डेमोंस्ट्रेशन दिया जाये ताकि बालिका अपने साथ हो रहे हिंसा/अपराध की शिकायत दर्ज कर सके।
8. शिविर आयोजन हेतु प्रत्येक विद्यालय को एकमुश्त राशि 2650/– रूपये प्रति विद्यालय परिषद द्वारा प्रदान की जा रही है। इस राशि का उपयोग प्रशिक्षण के दौरान आईईसी सामग्री (पोस्टर/बैनर्स) बालिकाओं हेतु अल्पाहार, बालिकाओं हेतु सर्टिफिकेट, प्रशिक्षणों के दौरान काम में आने वाली अन्य मूलभूत सामग्री हेतु किया जायेगा।
9. **बीट–कान्स्टेबल द्वारा विद्यालय विजिट** –समस्त विद्यालय अपने निकटतम पुलिस स्टेशन से सम्पर्क कर थाना–प्रभारी एवं बीट कान्स्टेबल को विद्यालय में छात्राओं–छात्रों से चर्चा करने हेतु आमंत्रित करे। चर्चा में बाल–सुरक्षा, प्रक्रियाओं एवं कानूनी प्रावधानों का उल्लेख हो। छात्राओं को संदर्भ व्यक्ति से अपने सवाल करने एवं बात कहने हेतु व्यक्तिगत बातचीत के आयोजन का भी प्रावधान किया जाये। बालिकाओं से पर्चियों पर भी अपनी उलझन/समस्या/असुरक्षा को साझा किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

मॉनीटरिंग एवं अभिलेख संधारण –

1. प्रशिक्षण से पूर्व एवं पश्चात् समस्त संभागियों को गूगल फार्म लिंक के माध्यम से प्री–टेस्ट एवं पोस्ट टेस्ट देना होगा। फीडबैक गूगल फॉर्म के माध्यम से लिया जायेगा। सभी प्रशिक्षणार्थियों को गूगल फॉर्म को भरना अनिवार्य होगा।
2. आत्मरक्षा शिविर एवं प्रतिदिवस आत्मरक्षा अभ्यास प्रक्रिया में भाग लेने वाली बालिकाओं की संख्या शाला दर्पण मॉड्यूल में प्रत्येक संस्थाप्रधान द्वारा भरी जायेंगी। यह प्रक्रिया शाला दर्पण मॉड्यूल में अपडेट की जायेगी। प्रत्येक संस्थाप्रधान द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों के फोटोग्राफ्स शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगें।
3. राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षणों की मॉनीटरिंग राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सक्षम अधिकारियों एवं संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारियों के माध्यम से की जायेगी।
4. ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण संबंधी सूचनाओं का आदान–प्रदान, मॉनीटरिंग एवं समस्याओं के निराकरण, सीबीईओ कार्यालय के माध्यम से किया जायेगा।
5. आत्मरक्षा प्रशिक्षण की विषय विशेषज्ञों के माध्यम से मॉनीटरिंग हेतु जिला स्तर पर 06 सदस्यीय मॉनीटरिंग कमेटी टीम निडर का गठन पूर्व के वर्षो में किया गया है। जिसके माध्यम से ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों में सहयोग एवं मॉनीटरिंग दायित्व प्रदान किया जायेगा।
6. गतिविधि सम्पन्न होने के पश्चात् रेण्डम सेम्पलिंग मूल्यांकन पद्धति से चयनित विद्यालयों में मूल्यांकन किया जायेगा।
7. प्रशिक्षण व पोस्टर्स पर चर्चा की फोटोज, बालिकाओं के साथ सत्रों के संचालन की अच्छी फोटोज आपको परिषद स्तर पर गूगल ड्राईव के माध्यम से साझा करनी होगी।
8. संबंधित गतिविधि के प्रत्येक स्तर के फोटो व विडियो परिषद स्तर पर भेजे जायें।
9. गतिविधि से संबंधित प्रत्येक जिले से दो केस स्टोरी परिषद मे साझा की जाये।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

RajKaj Ref
7861072

Signature valid
Digitally signed by A... Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.1_ _0:17:39 IST
Reason: Approved

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जाये।

2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(अविचल चतुर्वेदी)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : 1778 दिनांक : 26-06-2024

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2 निजी सचिव, निदेशक प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3 जिला कलेक्टर्स, समस्त जिले।
4 निजी सचिव, निदेशक, आरएससीईआरटी।
5 निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6 निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक –1, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
7 निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–2, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
8 वित्त नियंत्रक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9 उपनिदेशक, आई.टी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में अपलोड कराने हेतु।
10 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिलों को प्रेषित कर लेख है कि पत्र की प्रति सभी संबंधित सी.ई.ई.ओ एवं प्रधानाध्यापिका केजीबीवी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
11 समस्त, जिला प्रभारी अधिकारी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, ।
12 संबंधित ब्लॉक के सीबीईईओ एवं पीईईओ।
13 प्रधानाध्यापिका / वार्डन समस्त केजीबीवी।
14 रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7861072

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.[illegible] [illegible]:17:39 IST
Reason: Approved